इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 480] भोपाल, बुधवार, दिनांक 14 सितम्बर 2022—भाद्र 23, शक 1944

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2022

क्रमांक 15060-मप्रविस-15-विधान-2022.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 6 सन् 2022) जो विधान सभा में दिनांक 14 सितम्बर, 2022 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ६ सन् २०२२

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०२२

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२२ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

द्वितीय अनुसूची का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २२ सन् १९७३)की द्वितीय अनुसूची में,—

(एक) भाग एक में, अनुक्रमांक ६ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुक्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	मुख्यालय	क्षेत्रीय अधिकारिता (राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र)
(१)	(२)	(३)	(४)
"६.	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल	भोपाल	भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद, राजगढ़, हरदा और बैतूल.";

(दो) भाग दो में, अनुक्रमांक २ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुक्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	मुख्यालय	क्षेत्रीय अधिकारिता (राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र)
(१)	(२)	(३)	(४)
"२.	राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) में, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा की क्षेत्रीय अधिकारिता में, जबलपुर संभाग के सिवनी, बालाघाट और छिंदवाड़ा तथा नर्मदापुरम् संभाग का एक जिला बैतूल सम्मिलित है. नर्मदापुरम् संभाग के शेष जिले होशंगाबाद और हरदा, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की क्षेत्रीय अधिकारिता में सम्मिलित हैं. परिवहन तथा प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल में बैतूल जिला पुनः सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है. अतएव, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) में यथोचित संशोधन प्रस्तावित हैं.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख : २२ जून, २०२२.

डॉ. मोहन यादव
भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.